झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–97 वर्ष 2017

राम कुमार वर्मा, पुत्र–स्वर्गीय गोपाल प्रसाद वर्मा, निवासी ग्राम–सदाननडीह, डाकघर–पहाड़िया, थाना–सरवन, जिला–देवघर, वर्तमान निवास–महालक्ष्मी नगर, करनीबाग, डाकघर–शहीद आश्रम, थाना–कुण्डा, जिला–देवघर, वर्तमान में एल0आर0डी0सी0 कार्यालय, देवघर में अनुसेवक/चपरासी के रूप में कार्यरत हैं।

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. उपायुक्त, देवघर।
3. अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति, देवघर।

.... उत्तरदातागण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री विजय शंकर झा, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण के लिए :– श्री श्रीजीत चौधरी, सीनियर एस0सी0–III

सुश्री भारती सिंह, सीनियर एस0सी0–III के जे0सी0।

02/31.01.2017 अपनी नियुक्ति की तारीख की शिफ्टिंग 15.03.2001 से 01.01.1998 की मांग करते हुए, याचिकाकर्त्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. ' याचिकाकर्त्ता के पिता की मृत्यु 30.10.1997 को हुई और जब उन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई, तो उन्होनें इस न्यायालय में

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 4540/2000 दायर किया। रिट याचिका का निपटारा 17.08.2000 को किया गया, जिसमें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्त्ता के दावे पर निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देश दिया जाए। आदेश दिनांक 17.08.2000 से पता चलेगा कि रिट याचिका को याचिकाकर्त्ता के दावे को गुणावगुण के आधार पर निर्णय किए बिना निपटाया गया था। याचिकाकर्त्ता को 15.03.2001 को नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्त्ता का दावा है कि उसे 01.01.1998 को नियुक्त किया जाना चाहिए था। जहाँ तक इस तिथि अर्थात् 01.01.1998 का संबंध है, याचिकाकर्त्ता इस तिथि के महत्व को साबित करने में विफल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होनें स्वयं ही अपनी नियुक्ति की एक कृत्रिम तारीख तय की है। इसके अलावा, नियुक्ति की पेशकश के 17 साल बाद उन्होनें इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। वह इतनी लंबी देरी के बाद इस न्यायालय के पास जाने में देरी की व्याख्या करने में विफल रहे हैं।

4. इसको देखते हुए, मुझे रिट याचिका में कोई गुणावगुण नहीं मिली और तद्नुसार, इसे खारिज कर दिया गया।

(श्री चंद्रशेखर, जे0)